राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मुद्दे, अवसर और चुनौतियाँ

डॉ. सुधा तिवारी रिछारिया
प्राचार्या, श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोरामछिया, झाँसी (उ.प्र.)

29 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंज़ूरी दे दी। पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन ने भारत की भविष्य की शिक्षा प्रणाली के लिए दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो चौंतीस साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 का स्थान लेगी। यह नीति गुणवत्ता, सामर्थ्य, समानता, पहुँच और जवाबदेही पर आधारित है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक लंबे और सर्वसमावेशी प्रयास का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस सुधार के लिए रूपरेखा में बदल दिया गया है, जो देश में एक नई शिक्षा प्रणाली के विकास में सहायता कर सकती है और साथ ही आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों को भी मजबूत कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बहुविषयक विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है।

मुख्य शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति, सतत लक्ष्य

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इक्कीसवीं सदी की नीति है, और यह देश के कई विस्तारित विकासात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नीति को एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया था जो दायरे और गहराई में अद्वितीय थी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यन के नेतृत्व में एक समिति ने जनवरी 2015 में नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू की। जनवरी 2015 से, MHRD एक सहयोगी, समावेशी और अत्यधिक संवादात्मक परामर्श प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। मई 2016 में "नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति" द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यन ने की थी। मंत्रालय ने इसके आधार पर "ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट" विकसित किए। जून 2017 में, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन ने "ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति" की अध्यक्षता की, जिसने 31 मई को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 प्रस्तुत की। 2019. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बाद में ड्राफ्ट नई शिक्षा नीति (DNEP) 2019 जारी की, जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श हुए। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। परामर्श के दौरान 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकाय (ULB), और 676 जिले। यह नीति विकास को संशोधित करने और कानून और शासन सहित शिक्षा संरचना के सभी हिस्सों को ओवरहाल करने की सिफारिश करती है, ताकि एक नई प्रणाली विकसित की जा सके जो 21 वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक उद्देश्यों के अनुरूप हो, जिसमें सतत विकास लक्ष्य, पहली शिक्षा शामिल है, जबकि भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण होता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संबोधित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्यता, विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रचनात्मक क्षमता।

• कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण और बेहतर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समान शैक्षिक अवसरों का आह्वान करते हुए एक नीति जारी की।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसका लक्ष्य "असमानताओं के उन्मूलन और समान शैक्षिक अवसर" पर विशेष ध्यान देना था, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) आबादी के लिए। आचार्य राममूर्ति समिति (1990) और जनार्दन रेड्डी समिति (1992) के मूल्यांकन के जवाब में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 (पीओए-1992) में संशोधित किया गया था।

• 2019 में, मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति, जिसे डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इसका उद्देश्य वर्तमान शैक्षिक प्रणाली की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही में कठिनाइयों को हल करना है। अंततः 29 जुलाई, 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को अपनाया और स्वीकृत किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित की गई नीति है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1968 में पहली शिक्षा नीति पेश की थी। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति तैयार की और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में तीसरी शिक्षा नीति (NEP) पेश की। यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक फैली हुई है। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई शिक्षा नीति बनाई और जनता से प्रतिक्रिया मांगी। यह पहल भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और अंततः भारत को दुनिया भर में उच्च शिक्षा के लिए एक वांछनीय स्थान बनाएगी।
शिक्षक को सभी शैक्षिक नवाचारों के केंद्र में होना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार, शिक्षकों को हमारे समाज के सभी स्तरों पर सबसे मूल्यवान और आवश्यक पेशेवरों के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में हमारे नागरिकों की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। नई शिक्षा नीति को सभी स्तरों पर पढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ताकि जीविका मजदूरी, सम्मान, गरिमा और स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके, साथ ही सिस्टम में मौलिक गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सके।

• नई शिक्षा नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्र, चाहे वे कहीं भी रहते हों, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली तक पहुँच प्राप्त कर सकें, जिसमें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाली और कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी पर विशेष जोर दिया जाए। शिक्षा एक अद्भुत समतलीकरण और आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता, समावेश और समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है।

• इन घटकों को देश की स्थानीय और वैश्विक मांगों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किया जाना चाहिए, साथ ही इसकी समृद्ध विविधता और संस्कृति का सम्मान और सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्म-ज्ञान, सहयोग और एकीकरण के प्रयोजनों के लिए, भारत के युवाओं में भारत और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं तथा इसके मजबूत नैतिकता का ज्ञान भरना महत्वपूर्ण माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुद्दे

• **अपर्याप्त निधि:** आर्थिक सर्वेक्षण 2019-2020 के अनुसार, शिक्षा पर सरकारी व्यय (राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर) ने सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% योगदान दिया। यह अपरिहार्य है कि शिक्षा की लागत संरचना में परिवर्तन हो। जबकि सकल घरेलू उत्पाद के 6% पर वित्त पोषण की संभावना नहीं है, परिवर्तन के पहलुओं को सस्ती लागत और बड़े पैमाने पर पूरा किया जा सकता है।

• **अविभाज्यता:** सोच और दस्तावेज़ दोनों में एकीकरण की कमी है, और प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के एकीकरण जैसे अंतराल हैं। महत्वपूर्ण अंतराल हैं, जैसे आजीवन सीखना, जो उभरते विज्ञान को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए था।

• **शैक्षणिक प्रतिबंध:** दस्तावेज़ स्वतंत्रता, विकल्प और प्रयोग पर चर्चा करता है। पाठ स्वीकार करता है कि उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक आवश्यकताएँ हैं। यदि इसे एक ही संस्थान के अंदर लागू किया जाता है, तो यह एक आपदा होगी क्योंकि एक वर्षीय डिप्लोमा छात्रों और चार वर्षीय डिग्री छात्रों दोनों के साथ कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना संस्थान की पहचान से ध्यान भटकाएगा।

• **संस्थागत बाधाएँ:** एक अच्छी शिक्षा प्रणाली बहु-विषयक बाध्यता के बजाय विभिन्न संस्थानों से बनेगी। छात्रों को c) विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में से चुनने में सक्षम होना चाहिए। इस रणनीति से एक नए प्रकार की संस्थागत समरूपता पैदा होने का खतरा है जिसे केंद्र ने कानून बनाया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अवसर

1. समग्र संशोधन

a) शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की जगह लेगा। ऐसा लगता है कि यह शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। केंद्र और राज्य सार्वजनिक शिक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे।

b) तीन-भाषा सूत्र एक नए संस्करण में फिर से प्रकट होता है। दूसरी ओर, तीन-भाषा सूत्र अधिक लचीला होगा, और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी।

c) प्रस्ताव का उद्देश्य तीन से अठारह वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करने के लिए RTE के दायरे को व्यापक बनाना है। अब इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। यह बहुत समय से चल रहा था।

2. नए संस्थानों/बोर्डों/ढांचे की स्थापना

a) NEP 2020 में मान्यता और वित्तपोषण से निपटने वाले कई विनियामकों की मौजूदा समस्या को संभालने के लिए एक सुपर विनियामक की स्थापना की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

b) HECI चिकित्सा और कानूनी अध्ययनों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक संगठन के रूप में काम करेगा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसी सभी मौजूदा विनियामक एजेंसियों की जगह लेगा।

c) इसके चार स्वतंत्र वर्टिकल, राष्ट्रीय मान्यता परिषद (NAC), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद (NHERC), उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC), और सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), सभी अनुदानों, मान्यता और वित्तपोषण के प्रभारी होंगे, जिससे यह देश के सबसे केंद्रीकृत विनियामक निकायों में से एक बन जाएगा।

3. स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव

a) नीति में मौजूदा 10+2 ढांचे (10 साल की प्राथमिक और 2 साल की माध्यमिक शिक्षा) को हटाना शामिल है। अब 5 साल की बुनियादी शिक्षा, 3 साल की प्रारंभिक, 3 साल की मध्य और 4 साल की माध्यमिक शिक्षा होगी। शिक्षा के पहले पाँच वर्षों के दौरान प्रीस्कूल शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

b) बोर्ड परीक्षाएँ मूलभूत कौशल का आकलन करेंगी, मॉड्यूलर हो सकती हैं (ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए बोर्ड परीक्षाएँ उपयुक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासित की जाएँगी), और साल में दो बार प्रशासित की जाएँगी। दूसरी कोशिश आपको अपना स्कोर बढ़ाने का मौका देगी।

4. उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव

a) जैसा कि पहले कहा गया है, एक उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव एक सुपर-रेगुलेटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसके दायरे में विभिन्न कार्यक्षेत्रों के कई कार्य आएंगे। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, यह वर्तमान में 26.4% है। हालाँकि, महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने पर कोई खास जोर नहीं दिया गया है।

b) एक राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी वर्ष में दो बार एक सामान्य 3) कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। इसे स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (SAT) और स्नातक कॉलेज प्रवेश ढांचे के आधार पर तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के साथ संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी, और कॉलेजों को अगले 15 वर्षों में डिग्री प्रदान करने की क्षमता प्रदान की जाएगी। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी समाप्त कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ

1) शिक्षकों की उपलब्धता

a) 2030 तक, भारत में 12 बुनियादी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से किंडरगार्टन में 250 मिलियन से अधिक बच्चों के नामांकित होने की उम्मीद है। 1:35 के शिक्षक-छात्र अनुपात के साथ, भारत को इस तेजी से बढ़ती छात्र आबादी को संबोधित करने के लिए अनुमानित 7 मिलियन से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

b) इन शिक्षकों को क्रमशः चार, दो और एक वर्ष के लिए 12वीं कक्षा के छात्रों, स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए परिभाषित बी.एड कार्यक्रम पूरा करना होगा।

2) पाठ्यक्रम और विषय वस्तु

a) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक समायोजन की मांग की गई है। परीक्षा बोर्डों को इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि वे छात्रों का मूल्यांकन कैसे करते हैं और सीखने की सामग्री के मानदंड क्या होने चाहिए। स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों को भी फिर से तैयार करने की आवश्यकता होगी।
b) NEP अनुशंसा करता है कि परीक्षाएं सीखने के परिणामों की निरंतर ट्रैकिंग, उच्च-क्रम और मौलिक क्षमताओं पर जोर देने और छात्रों को सर्वोत्तम करियर विकल्प बनाने में मदद करने के लिए AI-आधारित सॉफ़्टवेयर प्रगति ट्रैकिंग के साथ मूल्यांकन की संस्कृति में बदल जाएं।

3) COVID युग, खोज महत्वपूर्ण चिंता का विषय है

a) वित्त के संदर्भ में, यह कमजोर दिल वालों के लिए काम नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% या प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये करने का आह्वान किया गया है।
b) यह पैसा बुद्धिमानी से देश भर में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के निर्माण, शिक्षकों और प्रोफेसरों को काम पर रखने और छात्रों को मुफ्त नाश्ता देने जैसी परिचालन लागतों के वित्तपोषण पर खर्च किया जाएगा।

4) **हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोलना एक बड़ा काम है**

नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक, 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दोगुना करने के लिए, अगले 15 वर्षों तक हर सप्ताह एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ठीक वही है जिसकी देश को जरूरत है क्योंकि यह भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल बनने की तैयारी कर रहा है। इसके विज़न को साकार करने के लिए, हमें आने वाले वर्षों और दशकों तक महत्वपूर्ण निष्पादन बाधाओं को दूर करने में दृढ़ रहना चाहिए। इसके साथ, मैं बेंजामिन डिज़रायली के उद्धरण को समाप्त करना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है, "सफलता का रहस्य आपके अवसर आने पर तैयार रहना है।" ऐसा करने के लिए, आपको बड़ी कल्पना करनी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक जानकार, प्रेरित और आत्मविश्वासी व्यवसायी बनें। हम अपने साथियों की राय, दृष्टिकोण और अनुभवों से भी सीख सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता,

आकर्षण, सामर्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने के लिए नवीन नीतियों को लागू करके इस लक्ष्य की ओर काम कर रही है, जबकि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखते हुए इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। मिशन बड़ा है, लेकिन इसे कैसे अंजाम दिया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसायी चुनौतियों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए काम करते हैं। स्वीकृति, समर्पण, आशावाद, तथा दृष्टिकोण और सोच में बदलाव ही वह सब है जिसकी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनिंदा युवा, प्रेरित प्रतिस्थापनों के लिए प्रतिष्ठित कौशल सेट से लैस होने के लिए आधार तैयार करती है। इसकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि इसे कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है।

संदर्भ

1. पंडितराव, एम.एम., और पंडितराव, एम.एम. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक छात्र, अभिभावक, शिक्षक या हमारे लिए, एक उच्च शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के रूप में इसमें क्या है। आदेश विश्वविद्यालय जर्नल मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, 2 (2), 70-79।

2. सावंत, डॉ. आर., और संकपाल, डॉ. यू. (2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा: एक ब्रिल समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 9 (1), 3456-3460।

3. वर्मा, डॉ. एच., और कुमार, ए. (2021)। भारत की नई शिक्षा नीति 2020: एक सैद्धांतिक विश्लेषण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 9 (3), 302-306।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 भारत सरकार। http://www.education.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE-1968.pdf पर उपलब्ध है

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भारत सरकार। http://www.eduaction.gov.in/sites/ upload_files/mhrd/files/document-reports/NPE86-mod92.pdf पर उपलब्ध है

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 (सारांश)। यहाँ उपलब्ध: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/nep/English 1.pdf

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2020. यहाँ उपलब्ध: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/NEP_Final_English_0.pdf

8. शिक्षा जगत, NEP 2020: कार्यान्वयनचुनौतियाँ. यहाँ उपलब्ध: http//www.educationworld.in/nep-2020-mplementation-challenges/

Contributors Details:

डॉ. सुधा तिवारी रिछारिया
प्राचार्या, श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोरामछिया, झाँसी (उ.प्र.)